

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प.3 (14) शिक्षा-4 / 2006 पार्ट

जयपुर, दिनांक 13.08.2019

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F.3(14)Edu-4/2006 Pt Jaipur, Dated: 30.11-18 द्वारा राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में नवीन subjects/disciplines/programmes आदि खोलने के आवेदनों पर विचार हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। उपरोक्त मानदण्डों में बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"University has valid accreditation from NAAC on the date of submitting application. However, for universities which are not eligible for getting NAAC accreditation because of the criterio that 02 batches must have passed out from the universities, this condition shall not apply."

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

ह०

(डा० मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. सचिव, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय, संगठन ए.आई.यू. हाउस, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. कुल सचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
9. प्रभारी वेबसाईट आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


(डा० मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव